न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/337

1. भंवर लाल आत्मज नारायण उम्र 62 वर्ष जाति मीणा निवासी डोडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. मोरपाल आत्मज नारायण उम्र 59 वर्ष जाति मीणा निवासी डोडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. हेमराज आत्मज नारायण उम्र 55 वर्ष जाति मीणा निवासी डोडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. मोहन आत्मज नारायण उम्र 50 वर्ष जाति मीणा निवासी डोडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. केसरा आत्मज रामनाथ जाति मीणा निवासी डोडी तहसील नैनवा जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. महावीर आत्मज केसरा जाति मीणा निवासी डोडी तहसील नैनवा ।
   1/2. आशाराम आत्मज केसरा जाति मीणा निवासी डोडी तहसील नैनवा (नाम तर्क)
   1/3. काली बाई बेवा केसरा जाति मीणा निवासी डोडी तहसील नैनवा ।
2. पन्ना आत्मज रामनाथ जाति मीणा निवासी डोडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. बाबू उर्फ बापू आत्मज रतना जाति मीणा निवासी डोडी तहसील नैनवा हाल निवासी भोलू मीणा की झौंपडियॉ वाया अलोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. बिला पुत्री रामनारायण पत्नी चतरा जाति मीणा निवासी बीजलबा तहसील नैनवा ।
5. तीजू पुत्री रामनारायण पत्नी खाना जाति मीणा निवासी डोडी तहसील नैनवा ।
6. सोहनी पत्नी भंवर लाल जाति मीणा निवासी डोडी तहसील नैनवा ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 28.02.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 188 एवं 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम डोडी तहसील नैनवा में कुल 05 किता की कुल रकबा 27 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण बाबू उर्फ बापू का हिस्सा 1/2 दर्ज है जिसमें से पन्ना ने 1/6 हिस्सा अपना प्रतिवादी सोहनी को विक्रय कर दिया है । प्रतिवादी कम 2 लगायत 5 का हिस्सा 14/30 दर्ज है तथा प्रतिवादी कम 6 व 7 का हिस्सा 1/30 दर्ज है किन्तु मौके पर प्रतिवादीगण कल 02 लगायत 07 की दर्ज खाते की जमीन पर वादीगण ही काबिज काश्त है । वादी उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं । प्रतिवादीगण कम 2 लगायत 7 के पिता रामनारायण उर्फ नारायण को गोरा मीणा आत्मज धन्ना मीणा निवासी डोडी ने बचपन में ही जाति के रस्म–रिवाज के अनुसार सवंत् 2000 में गोद ले लिया था इसलिए उसका इस आराजी में कोई हक व अधिकार शेष नहीं रहा है और न ही उनका कभी उक्त भूमि पर कब्जा रहा है । वादीगण के पिता रामा व रामनारायण दोनों सगे भाई थे जिनके पिता का नाम बाला था । बाला ने ही रामनारायण को बचपन में 10 वर्ष की आयु में गोरा मीणा को गोद दिया था व गोरा ने गोदपुत्र स्वीकार कर लिया था । रामनारायण के खाते गोरा की जमीन गोद जाने से लग चुकी है । रामनारायण की मृत्यु के बाद जमीन गोर के खाते की प्रतिवादीगण भंवरलाल, मोरपाल, हेमराज एवं मोहन के खाते आ गई है । इसलिए वादग्रस्त आराजी में इनको कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । प्रतिवादीगण कम 2 से 7 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर उनके हिस्से की भूमि वादीगण के खाते दर्ज की जावे और इसी अनुरूप वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन किया जावे ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में से 1/6 हिस्सा सोहनीबाई के व बाबू उर्फ बापू का हिस्सा बाबू उर्फ बापू के खाते दर्ज कर शेष 3/4 हिस्से पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर वादीगण के खाते भूमि दर्ज की जावे व इसी अनुसार विभाजन किया जावे । प्रतिवादी बाबू उर्फ बापू को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह भूमि अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं करे । वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करे अन्य प्रतिवादीगण को भी भूमि स्थानान्तरित नहीं करने हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

4. प्रतिवादी कम 02 लगायत 07 ने जवाबदावा पेश कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2015 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी कम 2 लगायत 5 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली दिनांक 29.08.2013 को साक्ष्य प्रतिवादी में लम्बित थी । उक्त पेशी पर अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा No instruction plead किया गया परन्तु अपीलान्टगण को इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गई और पत्रावली को

लगातार तारीख पेशी पर सम्मिलित करते हुए बिना सूचना व सुनवाई का अवसर दिये लोक अदालत में निर्णय पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय में समस्त पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही पक्षकारान के मध्य कोई राजीनामा हुआ है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा रेस्पोडेन्टगण द्वारा घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा एवं बंटवारे का पेश किया था । पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में लम्बित थी उस पेशी पर अभिभाषक प्रतिवादीगण के द्वारा No instruction plead किया गया परन्तु अपीलान्टगण को इसको सूचना नहीं दी गई । अपीलान्टगण को बिना सूचना दिये इसको लोक अदालत में रखा गया और दावा वादी डिक्री किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । पक्षकारों के मध्य कोई विधिक राजीनामा नहीं हुआ है । अपीलान्ट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर नहीं मिला है । गोद के प्रश्न को तय करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । सहखातेदार के विरूद्ध कब्जे का प्रावधान लागू नहीं होता है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि दिनांक 29.08.2013 को No instruction plead किया । दिनांक 14.11.2013 को इस आधार पर उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की जा चुकी थी । अपीलान्ट के द्वारा अपने अभिभाषक का शपथ पत्र पेश नहीं किया है कि उनके द्वारा पक्षकारों को कोई सूचना नहीं दी गई और पक्षकार ने भी शपथ पत्र पेश नहीं किया है । चूँकि प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही हो चुकी थी ऐसी स्थिति में लोक अदालत में पत्रावली में उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर दावा वादी डिक्री किया गया है जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2015 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.08.2013 को प्रतिवादीगण के अभिभाषक ने No instruction plead किया है । इसके उपरान्त दिनांक 14.11.2013 को पक्षकारों को सूचना दिये बिना उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई है जबकि अभिभाषक के द्वारा No instruction plead करने की स्थिति में न्यायालय को पक्षकारों को सूचना किया जाना अनिवार्य होता है । आदेशिका दिनांक 04.06.2014 के अनुसार पक्षकारान के अभिभाषक उपस्थित हुए हैं और दिनांक 11.06.2015 की आदेशिका के अनुसार पक्षकारान के अभिभाषक उपस्थित हुए हैं और बहस उभयक्षीय सुनी गई है जबकि इससे पूर्व किसी भी आदेशिका में

प्रतिवादीगण के खिलाफ जो एक तरफा कार्यवाही की गई थी उसको निरस्त करने के बारे में कोई आदेशिका अंकित नहीं है ।

11. लोक अदालत में दिनांक 12.06.2015 को पक्षकारों की अनुपस्थिति में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । दिनांक 05.11.2008 की आदेशिका के अनुसार तनकीयात कायम की गई हैं परन्तु निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया गया है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम इस प्रकरण में अपीलान्ट प्रतिवादीगण को साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना आवश्यक समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 22.04.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/2/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा